

5.8.24

वकील पार्थी उप. वकील पार्थी द्वारा डिली अनुसूच शपथ
रिकॉर्ड में अंकन होगा बताया। अधिन पत्र में कोई कर्तव्यही
शेष नहीं हो पर अधिन पत्र स्वीकार किया जाता है।
पत्रावली नंबर से कम होकर कार्यालय दफतर हो।

आदेश के अनुसार सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GJCMS
2024/15